उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
संख्या- 1/2020 /11/52-1-2020-28(एम0एस0डी0पी0)/11
लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2020

संशोधन-आदेश

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम(पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर तैनात/कार्यरत 98 कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के माह-मई 2019 से फरवरी 2020 तक के पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रशासकीय व्यय हेतु आवंटित धनराशि निर्गत किये जाने विषयक अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-62/2019/1222/52-1-2019-28(एम0एस0डी0पी0)/11, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित वाक्यांश **"लेखा शीर्षक में बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि रू0 162.6546 लाख(रूपये एक करोड़ बासठ लाख पैसठ हजार चार सौ साठ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2235-0103-16 प्राविधानित बजट रू0 210.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू0162.6546 लाख"** के स्थान पर **"लेखा शीर्षक में बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि रू0 162.65456 लाख(रूपये एक करोड़ बासठ लाख पैसठ हजार चार सौ छप्पन मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2235-0103-16 में प्राविधानित बजट रू0 210.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू0162.65456 लाख"** तथा तालिका में क्रमांक-1 व योग के स्तम्भ-9 में अंकित **"162.6546"** के स्थान पर **"162.65456"** पढ़ा जाये।

2- उपरोक्तानुसार उक्त शासनादेश संख्या-62/2019/1222/52-1-2019-28(एम.एस.डी.पी.)/11, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष निर्देश तथा शर्तें यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(जे0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-11(1)/भावन-1-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त(ई-4) अनुभाग /वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in